न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/25 दायरा दिनांक : 08.03.2022

उनवान

1. मांगीलाल आत्मज हजारीलाल, जाति लोधा, निवासी ढाबा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज०)
2. बनवारी लाल आत्मज हजारीलाल, जाति लोधा, निवासी ढाबा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
3. लक्ष्मीनारायन आत्मज हजारीलाल, जाति लोधा, निवासी ढाबा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज०)
4. लालचन्द आत्मज भवानीशंकर, जाति लोधा, निवासी ढाबा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज०) ....

अपीलांट

बनाम

1. परमानन्द आत्मज प्रभूलाल, जाति लोधा, निवासी ढाबा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज०)
2. अमरलाल आत्मज प्रभूलाल, जाति लोधा, निवासी ढाबा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज़०)
3. घनश्याम आत्मज प्रभूलाल, जाति लोधा, निवासी ढाबा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज०)
4. रामदयाल आत्मज प्रभूलाल, जाति लोधा, निवासी ढाबा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज०)
5. धापूबाई पुत्री प्रभूलाल पत्नी जगन्नाथ लोधा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)
6. संतोष बाई पुत्री प्रभूलाल पत्नी रोडूलाल लोधा, निवासी रानीपुरिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)
7. भूलीबाई बेवा प्रभूलाल लोधा, निवासी ढाबा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज०)
8. रोडूलाल आत्मज धूलीलाल लोधा, निवासी ढाबा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज०)
9. नोनतीराम आत्मज धूलीलाल लोधा, निवासी ढाबा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज0)
10. सुरजीबाई माता भंवरीबाई पुत्री धूलीलाल लोधा, निवासी गुराडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज०)
11. पन्नीबाई माता भंवरीबाई पुत्री धूलीलाल लोधा, निवासी पून्याखेडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज०)
12. भुवाना आत्मज गेन्दा लोधा, निवासी ढाबा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
13. हजारी आत्मज गेन्दा लोधा, निवासी ढाबा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज०)
14. कालूलाल आत्मज कानाजी लोधा, निवासी ढाबा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
15. रामचन्द आत्मज कानाजी लोधा, निवासी ढाबा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज०)

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

16. शान्तिबाई पुत्री कानाजी लोधा, निवासी ढाबा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज०)
17. रामरतन आत्मज बीरम लोधा, निवासी पून्याखेडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राजा०)
18. देवचन्द आत्मज बीरम लोधा, निवासी पून्याखेडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज०)
19. नर्बदीबाई पुत्री बीरम लोधा, निवासी पून्याखेडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज0)
20. नन्दलाल आत्मज धन्ना लोधा, निवासी ढाबा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
21. रामलाल आत्मज धन्ना लोधा, निवासी ढाबा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
22. रामकिशन आत्मज धन्ना लोधा, निवासी ढाबा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज०)
23. बीरमचन्द आत्मज धन्ना लोधा, निवासी ढाबा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज०)
24. व्यवस्थापक हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जावर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
25. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज०)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित –श्री हेमराज सिंह हाडा व श्री संजय सक्सैना अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री महेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 6 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 08.01.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 103/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण 1 लगायत 7 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम ढाबा, तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या 133 की खसरा नम्बर 264 की 1.00 बीघा एवं खसरा नम्बर 554/316 की 6.15 बीघा आराजी प्रतिवादीगण 1 ता 8 के शामलाती खाते में दर्ज है तथा इसी ग्राम की खाता संख्या 83 की खसरा नम्बर 555/316 की 2.05 बीघा आराजी प्रतिवादीगण 9 ता 12 के शामलाती खाते में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2020 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.02.2020 को निर्णय व डिक्री पारित की है, जिसके बारे में अपीलांट्स को कभी भी पता नहीं लगा अपीलांट्स को माननीय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 09.12.2021 को हुआ जबकि रेस्पोन्डेन्ट्स ने अपीलांट्स को कहा कि विवादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा कर लेगें व विवादग्रस्त आराजी का बेचान कर देगे उनके पक्ष में न्यायालय का निर्णय व डिक्री हो गई है इसके तुरन्त बाद अपीलांट्स ने मालूमात करके दिनांक 09.12.2021 को नकल का प्रार्थना पत्र दिया जिस पर नकल दिनांक 13.12.2021 को मिली मियाद मुआफी का प्रार्थना मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत है। अपीलान्ट्स गाँव के बिना पढे लिखे व्यक्ति हैं तथा हस्ताक्षर करना भी नहीं जानते है। अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय का सम्मन कभी भी प्राप्त नहीं हुआ, अपीलान्ट्स के ऐसे किसी भी सम्मन पर निशानी अंगूठा अथवा हस्ताक्षर नहीं है इस तथ्य की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निणर्य व डिक्री पारित करने मे कानूनी एवं तथ्यपूर्ण गलती की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट्स के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही गलत रुप से की गयी है। रेस्पोन्डेन्ट्स नम्बर 01 लगायत 07 के द्वारा फॉड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन करके फर्जी कार्यवाही करके निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलान्ट्स की तामील ही नहीं हुई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलान्ट्स के विरुद्ध एक तरफा करने के आदेश पारित कर दिये तथा एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित कर दी इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्यपूर्ण गलती की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। रेस्पोन्डेन्ट ने जो खसरा नम्बर दिये हैं वह पूरे नम्बर नहीं हैं तथा इनके और भी नम्बर हैं जिनको जोडे जाने के बाद ही यह पूरे नम्बर बनते हैं इन नम्बर का मिलान कैसे भी हाल खसरा नम्बर से नहीं होता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इनको गलत रुप से मिलान मानकर कानूनी गलती की है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्यपूर्ण गलती की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। प्रकरण अपीलान्ट्स के विवादग्रस्त आराजी के हक व स्वामित्व के निस्तारण से सम्बन्धित है जिसके द्वारा अपीलान्ट्स की आराजी को उसके खाते से कम करने का निर्णय व डिक्री पारित की गई है इस कारण अपीलान्ट्स को सुनवाई का पूर्ण एवं उचित अवसर दिया जाना न्याय हित में आवश्यक है इस कारण निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है तथा अपीलान्ट्स का जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने का व सुनवायी किये जाने का उचित व पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिये था इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करने मे कानूनी एवं तथ्यपूर्ण गलती की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। साबिक खसरा नम्बर का वर्तमान खसरा नम्बर से मिलान नहीं हो रहा है इस प्रकार रेस्पोन्डेन्ट्स नम्बर 1 लगायत 7 ने तथ्यों को छुपाकर दावा प्रस्तुत किया है इस तथ्य की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अनुमान के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित कर दी है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट्स ने विवादग्रस्त आराजी का खातेदार प्रतिवादी नम्बर 1, 2 व 4 से उनके हिस्से में दर्ज आराजी 3/8 हिस्से को जर्ये रजिर्स्टड विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था उसके बाद अपीलान्ट के नाम भी खाते में दर्ज हो गया था तथा अपीलांट्स का विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा है लेकिन रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 01 लगायत 07 ने गलत रुप से अपीलांट्स की आराजी को हडपने के लिये झूठा दावा किया है यह तथ्य जमाबन्दी देखने से भी स्पष्ट हो जाता है रजिर्स्टड विक्रय पत्र को निरस्त कराये बिना रेस्पोन्डेन्ट्स का कानूनन मैनटेनेबल नहीं था इस कानूनी बिन्दु की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्यपूर्ण गलती की है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकृत फरमायी जावे, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.02.2020 निरस्त फरमायी जावे तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमायी जावे तथा अपीलान्ट को सुनवाई का जवाबदेही व दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण एवं उचित अवसर प्रदान किये जावे का निर्णय प्रदान फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 09.12.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में हमें तामील नहीं हुई है। वादग्रस्त आराजी बटा नम्बर में हैं अर्थात् बटा नम्बर के साथ अन्य नम्बर भी रहे होगे जिसकी मिलान क्षेत्रफल से पुष्टि नहीं होती है। वादग्रस्त आराजी हमने क्रय की है अतः हमें अधीनस्थ न्यायालय में सुना जाना आवश्यक था। अपीलांट द्वारा आराजी क्रय की है इस आधार पर हमें सुना जाना आवश्यक है। अतः रजिस्ट्री प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद दिनांक 25.02.2020 को स्वीकार किया है। वादग्रस्त आराजी सेटलमेंट से पहले चारों के खाते में दर्ज थी। सेटलमेंट ने पन्ना का नाम हटा दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने सेटलमेंट से पहले व बाद की जमाबंदियों के आधार पर निर्णय किया है जो सही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने हिस्से से अधिक अपीलांट द्वारा किये गये बेचान को अवैध माना है। आराजी रेस्पोडेंट के नाम दर्ज हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जाये।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 7 ने अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि "सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा संख्या 123 की 0.18 बीघा, खसरा नम्बर 124 की 0.02 बीघा कुल 1.00 बीघा जिसके हाल खसरा संख्या 264 रकबा 1.00 बीघा बने है। यह आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व अकेले वादीगण के पिता प्रभू वल्द पन्ना के खाते दर्ज थी और सेटलमेन्ट से पूर्व साबिक खसरा संख्या 165 की 5.08 बीघा, खसरा संख्या 166 की 3.00 बीघा, खसरा संख्या 167 की 0.08 बीघा एवं खसरा संख्या 168 की 0.05 बीघा कुल किता 4 की 9.01 बीघा आराजी जिसके हाल खसरा संख्या 316 बने हैं यह आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व जमनी बेवा आसाराम, गेन्दा, धन्ना पिता गोपाल, प्रभू वल्द पन्ना के शामलाती खाते में दर्ज थी। उक्त आराजी में वादीगण के पिता प्रभू का हिस्सा 1/4 दर्ज था। आसाराम, गेन्दा, धन्ना व पन्ना चारों गोपाल के पुत्र थे, लेकिन सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के उक्त दोनों खसरा संख्या 264 की 1.00 बीघा व खसरा संख्या 316 की 9.01 बीघा में वादीगण के पिता का नाम हटा दिया तथा सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज कर दी जो कानूनन गलत है, इसलिए हाल खसरा संख्या 264 की 1.00 बीघा सम्पूर्ण तथा हाल खसरा संख्या 316 की 9.01 बीघा आराजी में से 1/4 भाग आराजी के वादीगण खातेदार टीनेन्ट घोषित होने योग्य है।

प्रतिवादीगण नं. 1, 2, 4 कमशः रोडूलाल, नोन्तीलाल एवं पन्नी द्वारा वाद के मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी हाल खसरा संख्या 264 की 1.00 बीघा एवं खसरा संख्या 554/316 की 6.16 बीघा आराजी में से 3/8 हिस्सा प्रतिवादीगण नम्बर 13 से 16 को बेचान करने से उक्त आराजी इन्तकाल नं. 627 दिनांक 05.09.2016 से प्रतिवादीगण नम्बर 13 से 16 के खाते दर्ज होने से प्रतिवादीगण वादीगण के पूर्वजों के शामिल खाते की आराजी पर बिना विभाजन करवाये उक्त आराजी पर कब्जा करना चाह रहे हैं जबकि प्रतिवादीगण स्ट्रेन्जर परचेजर होने से बिना विभाजन करवाये उक्त क्रयशुदा आराजी पर कब्जा नहीं कर सकते। इसलिए प्रतिवादीगण 13 लगायत 16 को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है।"

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2020 से वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण को ग्राम ढाबा तहसील मनोहरथाना के माल की खसरा नम्बर 264 की 1.00 बीघा सम्पूर्ण एवं हाल खसरा नम्बर 554/316 की 6.16 बीघा व खसरा नम्बर 555/316 की 2.05 बीघा कुल किता 2 की रकबा 9.01 बीघा आराजी में से 1/4 भाग में वादीगण को सेटलमेंट से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए खातेदार टीनेन्ट घोषित कर प्रकरण में सेटलमेंट के बाद राजस्व रेकॉर्ड में हुए परिवर्तन को तदनुसार रद्द किया जाकर सेटलमेंट से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश दिये गये। साथ ही निर्णय में यह भी अंकित किया कि खातेदारों द्वारा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यदि अपने हिस्से से अधिक कोई रहन, बेचान किया गया है तो केवल उसके हिस्से तक हुआ बेचान वैध है अपने हिस्से से अधिक का बेचान प्रारम्भतः शून्य (As Initiovoid) होगा तद्नुसार वादी का नाम रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में वादीगण का वाद स्वीकार करने के तथ्यों का कोई विवरण अंकित नहीं किया, ना ही तथ्यों का विधिवत विश्लेषण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कोई ध्यान नहीं दिया कि वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 316 की आराजी वादीगण के पिता प्रभू वल्द पन्ना के नाम सेटलमेंट पूर्व दर्ज रिकॉर्ड रही हो इसे सिद्ध करने वाला कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड खसरा सेटलमेट संवत 2019 के पृष्ठ संख्या 8 पर खसरा नम्बर 64 बिलानाम दर्ज है। इसी प्रकार खसरा सेटलमेंट संवत 2019 के पृष्ठ संख्या 33 के अनुसार खसरा नम्बर 64 रकबा 1 बीघा के गत खसरा नम्बर 123 रकबा 0.18 बीघा, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.02 बीघा होना स्पष्ट है परंतु वादीगण द्वारा खसरा नं. 123, 124 सेटलमेंट पूर्व अपने पिता प्रभू वल्द पन्ना के नाम दर्ज रहा हो ऐसा कोई राजस्व रेकॉर्ड प्रस्तुत करना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट नहीं है। प्रथम दृष्ट्या अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट नहीं होता कि अधीनस्थ न्यायालय ने किस आधार पर वादी का वाद सिद्ध होना स्वीकार किया है। अपीलांट द्वारा अपील में अंकित किये गये इस तथ्य की पुष्टि होना पाया जाता है कि रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 7 ने जो खसरा नम्बर दिये हैं वह पूरे खसरा नम्बर नहीं हैं तथा इनके और भी खसरा नम्बर हैं जिनको जोड़े जाने के बाद ही यह पूरे नम्बर बनते हैं इन नम्बरों का मिलान कैसे भी हाल खसरा नम्बर से नहीं होता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इनको गलत रूप से मिलान मानकर कानूनी गलती की है। रेस्पोंडेंट नं. 1 लगायत 7 ने तथ्यों को छुपाकर दावा प्रस्तुत किया है। अपीलांट ने प्रस्तुत अपील में यह भी कथन किया है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय का सम्मन कभी प्राप्त नहीं हुआ। अपीलांट के किसी भी सम्मन पर हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार अपीलांट नं. 1 व 2 के सम्मन पर हजारीलाल के हस्ताक्षर के साथ पिता होना अंकित है इसी प्रकार अपीलांट नं. 3 व 4 के सम्मन पर अंगूठा निशानी बरजीबाई के साथ माता होना अंकित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सम्मन की तामील अपीलांट स्वयं पर नहीं की जाकर परिवार के सदस्यों पर की गई है। इसी प्रकार अपीलांट ने अपील की मद नं. 10 में यह कथन किया है कि अपीलांट ने विवादग्रस्त आराजी को खातेदार प्रतिवादी नं. 1, 2 व 4 से उनके हिस्से में दर्ज आराजी 3/8 हिस्से को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था उसके बाद अपीलांट का नाम भी खाते में दर्ज हो गया था तथा अपीलांट का विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा है। विवादग्रस्त आराजी में अपीलांट द्वारा प्रतिवादी नं. 1, 2 व 4 के हिस्से की आराजी को क्रय करने के कथन की पुष्टि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2069–72 खाता संख्या 133 में अंकित नामान्तरकरण संख्या 627 से होती है। उपरोक्त समस्त तथ्यों को मध्यनजर एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित वाद में अपीलांट को अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त होना हम आवश्यक समझते हैं।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2020 खारिज किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर वादीगण द्वारा वाद में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का पुनः परीक्षण करने के पश्चात पुनः नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित किया जाये। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.04.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/01/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा